

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>20/11/20</p>	<p>पत्रावली आज पेश हुई। अपील को सुनने में नोटिस छोड़ा और गए थे जो तामील अफ तामील प्राप्त नहीं होने पर अन्तिम नोटिस जस्टिस फोरम 1325/10-11-20 के Regd. सेवागमा जो आज डिकेड तक पुनः Reg. प्राप्त नहीं हुए हैं इसका आदेश फा उनके पेजीकरण एक ले प्राप्त हो गया है। कोर्ट प्रेन्सुअल के अनुसार एक माह की अवधि में पुनः Regd नोटिस पुनः प्राप्त नहीं होने या तामील माना-जाने का प्रवधान है। अतः तामील प्राप्त नहीं है। आज अपील को सुनने में अपील आवजुद तामील कसूर रहे से तहल अंतर के प्रत्युत्तर अनुसार सूचना निजयोर जाना सिद्ध है अतः इस अपील के संदर्भ में वर्तमान में किसी प्रकार की क्रियावाही नोपेक्षित नहीं रह जाती है इसी स्थिति में अपील अपील को इसी स्तर पर कसूर की जाती है। पत्रावली सुनान फेरलन देकर नम्बर से कसूर हो।</p> <p style="text-align: center;">A जिला कलेक्टर, बाली</p>	

